प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 11 – 18 नवम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

संगठन चुनावों के बाद भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई तल्ख होने की संभावना बढ़ी

शिमला/शैल।प्रदेश मन्त्रीमंडल में मन्त्रीयों के दो खाली चले आ रहे पदों को भरना मुख्यमन्त्री के लिये कठिन होता जा रहा है बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि इन पदों को भरने के साथ ही राजनीतिक बिस्फोट की संभावनाएं एकदम बढ़ जायेंगी। राजनीतिक विश्लेष्कों का मानना है कि एक समय जब धूमल सरकार के खिलाफ कुछ लोगों ने शान्ता कुमार के अपरोक्ष नेतृत्व में मोर्चा खोला था और आरोपों का एक लम्बा – चौड़ा ज्ञापन तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को सौंपा था ठीक आज उसी तर्ज पर जयराम सरकार के खिलाफ तैयारियां चल पड़ी हैं। इन तैयारियों को हवा वायरल हुए उस पत्र की पुलिस जांच से मिली है जो किसी ने कथित रूप से शान्ता कुमार को लिखा था और उसमें कुछ मन्त्रीयों के खिलाफ आरोप लगाये गये थे। यह पत्र जब वायरल हो गया और अखबारों की खबर भी बन गया तब इस पत्र को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। इस शिकायत की जांच पूर्व मन्त्री रविन्द्र रवि तक पहुंच गयी तथा पुलिस ने उनका मोबाईल फोन कब्जे में ले लिया। इस फोन की जांच के बाद अब यह कहा जा रहा है कि यह रविन्द्र रवि के कहने पर वायरल किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि इस जांच के बाद वह शीघ्र ही इस मामले में चालान दायर करने जा रही है। पुलिस की ओर से यह जानकारी बाहर आने के बाद रविन्द्र रवि ने अपनी प्रतिक्रिया में यह मामला सीबीआई को सौंपे जाने की मांग करते हुए यह पड़ताल किये जाने की भी मांग की है कि यह पत्र लिखा किसने है इसका भी पता लगाया जाना चाहिये। इसके बाद रविन्द्र रवि की पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार से भी मुलाकात हुई है। रवि और धूमल के मिलने को भी इसी संद्धर्भ में देखा जा रहा है। इससे पहले कांगड़ा में अनुराग के साथ किश्न कपूर और इन्दु गोस्वामी का मिलना भी राजनीतिक संद्धर्भो में ही देखा जा रहा है। यह मिलना धर्मशाला में हुई इन्वैस्टर मीट के बाद हुआ है और इस मीट में अनुराग ठाकुर , किश्न कपूर और प्रेम कुमार धूमल की भूमिकाएं नहीं के बराबर रही हैं। बल्कि इस मीट में अपने सत्र को संबोधित करते हुए अपरोक्ष इसके आयोजकों को अपनी नाराज़गी भी बड़े शब्दों में सामने रख दी थी। उस सत्र में मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डु मौजूद थे और अनुराग का इंगित भी शायद उन्हीं की ओर था क्योंकि मीट के प्रबन्धन में प्रधान सचिव की भूमिका अग्रणी कही जा रही है। इस मीट से पहले ही जयराम के खेलमन्त्री गोविन्द ठाकुर और अनुराग ठाकुर में क्रिकेट स्टेडियमों को लेकर जिस तरह की ब्यानबाजी रही है उसके परिणाम भी राजनीतिक समीकरणों की ओर ही ईशारा करते हैं गोविन्द ठाकुर और मुख्यमन्त्री के रिश्ते तो इसी से सामने आ जाते हैं जब मानसून सत्र में घाटे में चल रही एचआरटीसी द्वारा मुख्यमन्त्री को गाड़ी भेंट किये जाने की चर्चाएं चली थी। मुख्यमन्त्री अधिकारियों के दवाब में चल रहे हैं यह आरोप वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी एक ब्यान में लगा चुके हैं। यही नहीं पिछले कुछ अरसे से मण्डी में एक वर्ग आरटीआई के माध्यम से आईपीएच मन्त्री मेहन्द्र सिंह ठाकुर को लेकर भी कई आरोप उछाल चुका है जिनमें यह कहा गया है कि महेन्द्र सिंह मुख्यमन्त्री के चुनाव क्षेत्र सिराज और अपने चुनावक्षेत्र धर्मपुर में ही भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। इन्ही आरोपों में एक आरोप 45 लाख रूपया अब तक खाने आदि पर ही खर्च कर देने का लगाया गया है।

अब जिस तरह से इस वायरल पत्र को लेकर चल रही जांच में रवि केन्द्रित होते जा रहे हैं निश्चित रूप से उसका परिणाम राजनीतिक विस्फोटक ही होगा। इस पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं वह कितने प्रमाणिक हैं यह तो किसी जांच से ही पता चलेगा जो अब तक हुई नहीं है। लेकिन इन आरोपों से हटकर जहां पैसे के दुरूपयोग के दस्तावेजी आरोप सामने हैं लेकिन फिर भी उन आरोपों की जांच न हो तो स्वभाविक है कि इससे कुछ लोगों की ओर अंगुलियां उठेंगी ही। इनमें बिलासपुर में बन रहे हाइड्रो कालिज के निर्माण के लिये आमन्त्रित टैण्डर में 92 करोड़ के रेट को छोड़कर 100 करोड़ का रेट देने वाले को काम आबंटित कर दिया गया और इस तरह टैण्डर आबंटन में ही आठ करोड़ का घपला कर दिया गया। यह आठ करोड़ किसकी जेब में जायेगा इसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं लेकिन इसमें जांच करवाने की बात नहीं की जा रही है। इसी तरह राजकुमार राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नही हो रहा है जबकि यह फैसला सितम्बर 2018 में आ चुका था और इसमें दो माह के भीतर अमल होना था। राज्य में बन रहे तीन मेडिकल कालेजों का निर्माण लोक निर्माण विभाग को छोड़कर केन्द्रिय सरकार की ऐजैन्सीयों को बिना टैण्डर आमन्त्रित किये ही दे दिया गया है। केन्द्रिय ऐजैन्सीयों में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका पता एनपीसीसी से चल जाता है भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते यह ऐजैन्सी सीबाआई के शिकंजे में है और इसे भंग करके इसका विलय एनवीसीसी में कर दिया गया है। हाईड्रो कालिज का निर्माण इसी एनपीसीसी को दिया गया था। ऐसे दर्जनों मामले है जहां राज्य सरकार के पैसे का खुला दुरूपयोग हो रहा है लेकिन जांच करने का साहस नही किया जा रहा है। एशियन विकास बैंक द्वारा सौंदर्यकरण के नाम पर शिमला के दोनों चर्चो को दिया गया करीब 21 करोड़ रूपया कहां गया है इसकी आज तक कोई जानकारी सामने नही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनो में भ्रष्टाचार के यह मामले राजनीतिक विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सूत्रों की माने तो संगठन चुनावों के बाद पार्टी के अन्दर चल रही खेमेबाजी खुलकर सामने आ जायेगी और भ्रष्टाचार इस लड़ाई में केन्द्रिय बिन्दु होगा।

भू अधिनियम की धारा 118 में कितनी बार ज़मीन खरीद की अनुमति ली जा सकती है?

शिमला/शैल। क्या धारा 118 में तय की गयी अधिकतम भू सीमा से ज्यादा जमीन औद्योगिक और खनन अधिनियमों में ली जा सकती है? क्या नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि और बागवानी की जा सकती है और ऐसी कृषि/बागवानी करने से कृषक होने का प्रमाणपत्र हासिल किया जा सकता है? यह सारे सवाल सरकार की मैगा इन्वैस्टर मीट के बाद एकदम चर्चा का विषय बन गये हैं। क्योंकि भूसुधार अधिनियम में किसी भी गैर कृषक को प्रदेश में कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध है। ऐसा गैर कृषक व्यक्ति केवल सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्रदेश में ज़मीन खरीद सकता है। यह अनुमति भी मकान के लिये अधिकतम 500 वर्ग गज और दुकान आदि के लिये 300 वर्ग गज की रखी गयी है। यह अनुमति की शर्त इसलिये रखी गयी थी ताकि कोई भी अमीर गैर कृषक व्यक्ति किसानों की ज़मीनो पर पैसे से कब्जा न कर सके। लेकिन कोई गैर व्यक्ति ऐसी अनुमति कितनी बार ले सकता है इसको लेकर इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस अधिनियम में जो भी संशोधन आज तक हुए हैं उनमें कृषक की परिभाषा की ही व्याख्या की गयी है और अनुमति को लेकर कुछ नही कहा गया है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में उस चर्चा को आधार बनाया जाता है जो मूल अधिनियम को पारित करते समय सदन में उठायी गयी थी। स्मरणीय है कि यह अधिनियम जब चर्चा में आया और इसे पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये केन्द्र में भेजा गया था तब इसे चार बार सदन में पुनर्विचार के लिये वापिस भेजा गया था। उस समय जो चर्चा इस पर सदन में रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति को एक ही बार धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी खरीदी हुई जमीन को बेचने के लिये भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

लेकिन हिमाचल प्रदेश के सैंकड़ों ऐसे नौकरशाह रहे हैं जिन्होंने एक से अधिक बार जमीन खरीद की अनुमतियां सरकार से ली है। ऐसे नौकरशाहों में मुख्य सचिव से लेकर नीचे एसडीएम स्तर तक के अधिकारी शामिल रहे हैं। ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने आईएएस कालोनी में भी मकान लेने के साथ ही अन्य जगहों पर भी अनुमति लेकर प्लाट खरीदे और बेचे हैं।

वैसे नियमों में यह भी प्रावधान है कि धारा 118 में अनुमति लेकर दो वर्ष के भीतर उस पर निर्माण हो जाना चाहिये। यदि दो वर्ष में ऐसा संभव न हो सके तो एक वर्ष और की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी निर्माण न होने पर ऐसी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। लेकिन बड़े बाबुओं के संद्धर्भ में इस नियम की भी अनुपालना नही की गयी है। 118 के तहत जमीन खरीदने पर ऐसा व्यक्ति टीडी का पात्र नहीं बन जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा एफसी राजस्व स्तर के अधिकारियों ने किया है उन्होंने टीडी ली है। सरकार के पास इस आश्य की शिकायतें भी आयी हैं लेकिन कोई कारवाई नही हुई है। कई बड़े समाचार पत्रों ने जमीने लेकर वर्षो तक उन पर कोई निर्माण नही किये हैं इस आश्य की शिकायतें विजिलैन्स में कई वर्षो से लंबित है जिन पर कोई कारवाई नही हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब सरकार के बड़े नौकरशाह मुख्य सचिव स्तर के लोग धारा 118 की इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं तो फिर धारा 118 का औचित्व ही क्या रह जाता है।

धारा 118 में साफ कहा गया है कि गैर कृषक को किसी भी तरह से अनुमति के बिना जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती और कोई अन्य कानून

शेष पृष्ठ 8 पर.....

अपनी संस्कृति, उच्च विचारों और संस्कारों को भी शिक्षा में करें शामिल: राज्यपाल

शिमला/शैल।राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बाल दिवस के अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पोर्टमोर से शिमला में मेजर

स्क्रीनिंग अभियान का शुभारम्भ किया, जिससे जिले के करीब 10 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे। यह अभियान इंडियन विजन इंस्टीट्यूट और इस्सेलर विजन फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति की दिनचर्या बदल गयी है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ें लेकिन, अपनी संस्कृति, उच्च विचारों, संस्कारों को भी शिक्षा में शामिल करें। उन्होंने कहा कि योग हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। उन्होंने छात्राओं से योगाभ्यास को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की।

दत्तात्रेय ने कहा कि 14 नवम्बर को हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। उन्होंने इंडियन विजन इंस्टीट्यूट और इस्सेलर विजन फाउंडेशन के प्रयासों की भी सराहना की तथा कहा कि वह पुनीत कार्य से जुड़े हैं और कमजोर दृष्टि के बच्चों को बेहतर अवसर देकर उनके जीवन में सचमुच का उजाला लाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अभियान बच्चों के सामने आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। चश्में के साथ उनकी दृष्टि में सुधार होगा जिससे उन्हें स्कूल और उनकी अन्य दैनिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने इस अभियान से जुड़े 'सक्षम हिमाचल' के कार्यकर्ताओं की भी सराहना की।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने छात्राओं को चश्में वितरित कर अभियान का शुभारम्भ किया। इससे पूर्व, स्कूल के प्रधानाचार्य नरेन्द्र कुमार सूद ने राज्यपाल का स्वागत किया।

नौ देशों के भारतीय मूल के विद्यार्थियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 57वें 'भारत को जानो कार्यक्रम' के अंतर्गत नौ देशों के भारतीय मूल के विद्यार्थियों ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है और यहां के

लोग मिलनसार है।इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय मूल के विद्यार्थियों को प्रदेश व देश की सांस्कृतिक परम्पराओं से अवगत करवाना है। कार्यक्रम के पहले चरण में विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों, विश्वविद्यालयों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश तथा जाखू मंदिर, हाटू मंदिर, नालदेहरा, कूफरी और तारादेवी मंदिर का भ्रमण किया। नौ देशों सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस, म्यांमार, त्रिनीदाद और टोबैगा, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ईजरायल के 40 विद्यार्थी थे।

भेंट के दौरान राजभवन में विद्यार्थियों ने राज्यपाल से बातचीत की। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव निशी कांत, राज्यपाल के सचिव रोकश कंवर तथा अन्य उच्च अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

योग प्रकृति से जुड़ने का सुरक्षित माध्यम: राज्यपाल

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल में हरिद्वार हस्पताल योग समिति द्वारा आयोजित भारत योग पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि योग शरीर और मस्तिष्क को एक साथ संतुलित करके प्रकृति से

जुड़ने का सबसे सुरक्षित माध्यम है।

राज्यपाल ने कहा कि हमें दैनिक जीवन में योग को अपनाने की जरूरत है ताकि हम स्वस्थ जीवन जी कर समाज और राष्ट्र को अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि आज की तनाव, व्यस्त और अस्वस्थ दिनचर्या में योग करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम ऊर्जावान होते हैं। उन्होंने कहा कि आज योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और 21 जून का दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

दत्तात्रेय ने समिति द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और आशा जताई कि समिति भविष्य में भी और अधिक गतिविधियां संचालित करेगी और अन्यों के लिए प्रेरणा का काम करेगी।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने योग व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने समिति की ओर से दिव्यांग बच्चों को कम्बल वितरित किए। इससे पूर्व, समिति के प्रमुख योग गुरु रणजीत सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया और समिति की गतिविधियों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेष तौर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने सब को आकर्षित किया। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश पंजाबी साहित्य परिषद् ने डॉ नीलम महेंद्र को किया सम्मानित

शिमला/शैल। गुरुनानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के

उपलक्ष्य पर भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मत्था टेका और सर्वधर्म समभाव के लिए अरदास की। इस अवसर पर प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा द्वारा देश की सुप्रसिद्ध लेखिकाओं में शामिल ग्वालियर की डॉ नीलम महेंद्र को एक शील्ड और 21000 की राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। पंजाबी साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ नीलम महेंद्र को अपने लेखों के माध्यम से गुरुनानक देव की सीखों को जनसामान्य तक पहुंचाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

मनोरंजक दिनचर्या व स्वस्थ जिन्दगी जीने के लिये खेलों की हमारे जीवन में होती है महत्त्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बी.सी.एस. मैदान में हिमाचल प्रदेश खेल एवं नशा निवारण एसोसिएशन द्वारा आयोजित टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खेल लोगों को न केवल स्वस्थ रहने में सहायता करते है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखते है तथा निराशा को दूर कर उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल से अनुशासन, संकल्प और टीम भावना जैसी विशेषताएं प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों से न केवल हमें हमारी व्यस्त दिनचर्या में मनोरंजन के अवसर मिलते है बल्कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में भी सहायता मिलती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में स्वस्थ जीवन को महत्त्व देने के उद्देश्य 'फीट इंडिया, हिट इंडिया' का शुभारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए तथा समाज में नशे की बुराई से लड़ने के लिए खेलों के माध्यम से प्रदेश

सरकार ने भी 'फीट हिमाचल, ड्रग फ्री हिमाचल' का नारा दिया है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा-निवारण की शपथ भी दिलाई।

इस दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दौरान अंतिम मैच मुख्यमंत्री एकादश और प्रेस एकादश के मध्य खेला गया।

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर ने टॉस किया। मुख्यमंत्री एकादश के कप्तान जय राम ठाकुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाली करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री एकादश ने निर्धारित 20 ओवर में केवल 94 रन बनाए। इस लक्ष्य को प्रेस एकादश ने 11वें ओवर में छः विकटें रहते हुए प्राप्त कर लिया।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रेस एकादश के सोम दत्त को उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और हंस राज राज्यपाल एकादश के खिलाफ शानदार शतक तथा मैच में दो विकटें हासिल करने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया।

हिमाचल प्रदेश खेल एवं नशा निवारण एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव तोमर ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि एसोसिएशन ऐसी प्रतियोगिता सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा युवाओं में खेल भावना उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित करती है। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने डिजिटल न्यूज चैनल 'लाइव टाइम्ज टीवी' का शुभारम्भ किया। टीवी के प्रबंध निदेशक सहज गोयल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें इस चैनल से सम्बन्धित जानकारी दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मंत्रिमण्डल ने आयुर्वेदिक फर्मास्सिटों के 200 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की दी स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्रे जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 9 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2019 तक आयोजित करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। इस सत्र में छः बैठकें होंगी।

मंत्रिमंडल ने 27 दिसम्बर, 2019 को राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया। इसी दिन शिमला के पीटरहॉफ में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से विभिन्न परियोजनाओं का 'ग्राउंड ब्रेकिंग' समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से दसवीं तथा जमा दो पास किया होना अनिवार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्य लेनदेन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने और भुगतान में अनावश्यक देरी को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में वन विभाग के लेनदेन कार्यों को कोषागार के तहत लाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक के नए उपकरण खरीदने के लिए 'मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना' अधिसूचित करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत दस्तकारों को उपकरण व औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में ऊना जिले के बंगाणा में नया उप-अग्निशमन केन्द्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित करने व भरने तथा केन्द्र को सूचारू रूप से चलाने के लिए तीन नए वाहनों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा जिला के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्तरोन्नत कर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की सिफारिश की।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फर्मास्सिटों के 200 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें से 103 पदों को सीधी भर्ती और शेष 97 पदों को बैच-आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने बैठक में राज्य में सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से मामला उठाने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के छपराहन और देलग (कटेरू) में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन्हें संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में आयुर्वेद विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के तीन पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए 'हिमाचल प्रदेश मिसलेनीयस एडवेंचर एक्टीविटीज ड्राफ्ट रूल, 2019' को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में जलक्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्टस एवं अलाईड एक्टीविटीज

ड्राफ्ट रूलस, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के परिव्यय को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब यह राशि 10 मैगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में एक पद कनिष्ठ आशुटंकक का पद अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने, जूनियर ऑफिस एसीस्टेंट (आई.टी.) के दो पद और सेवादार के दो पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर में खोले गए नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के सुलह में उप-तहसील खोलने और उप-तहसील कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने चमेरा-1 जल विद्युत परियोजना में 65.8 मेगावाट की निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी के लिए अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यम अवधि की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला लिया। यह समझौता 13 माह की अवधि के लिए 4.02 प्रति के.डब्ल्यू.एच. निर्धारित किया गया है। मंत्रिमण्डल ने अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को समझौता अवधि के लिए 0.04 प्रति के.डब्ल्यू.एच. रुपये के व्यापार मार्जिन को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला, सेरू को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला, गलू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा सिरमौर जिले के चौकी मृगवाल के राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को, आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला की कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बरनोह में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित व भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के जाहू स्थित पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।

बैठक में गौवंश के बेहतर रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 2018 को 1 दिसम्बर, 2019 से लागू करने तथा देसी गायों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश गौजात्या प्रजनन विधेयक, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को वार्षिक भत्ता उतनी बार जितनी बार वह जीतकर आएंगे देने का निर्णय लिया।

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं व उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, को भूतपूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

नशे की बुराई से निपटने हेतु सामूहिक प्रयास की नितांत आवश्यकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि नशे की बुराई से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे जागरूकता लाने के लिए एक जन आन्दोलन आरम्भ किया

जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा रिज मैदान पर 'नशे के विरुद्ध' आरम्भ किए गए विशेष अभियान के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। नशा निवारण और शराबबंदी का यह विशेष अभियान प्रदेश के सभी जिलों में आरम्भ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज से इस बुराई को मिटाने के लिए प्रदेश सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाला यह अभियान इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान औपचारिकता मात्र ही नहीं है बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के बेहतर समन्वय के द्वारा इन प्रयासों को फलीभूत किया जा सकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लोगों को जागरूक करने में चिकित्सक अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी प्रकार, अध्यापक विद्यार्थियों को जागरूक कर नशे से दूर रहने को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को नशे के माफिया से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि नशा तस्करों व इससे जुड़े लोगों के जाल को तोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि यह उनके द्वारा किए गए प्रयासों के ही परिणाम है कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाने और कारगर नीति अपनाने के लिए सात उत्तरी राज्य एक साथ मिले। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति भी तैयार की तथा सूचना का आदान-प्रदान भी सम्भव हो सका। प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें पहला यू शिमला के निजी अस्पताल में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से नशे के आदी लोगों को इस सामाजिक बुराई से बाहर आने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन निगमों के होटलों को भी प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को वास्तव में 'देव भूमि' बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑनलाइन न्यू शिमला में नशा मुक्ति केन्द्र और हिमाचल प्रदेश राज्य मनोरोग चिकित्सा प्राधिकरण की वेबसाइट का शुभारम्भ किया। उन्होंने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर तथा शिमला जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री भी जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा निवारण रैली को भी रवाना किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के छात्रों ने इस अवसर पर भव्य प्रस्तुति दी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में नशे के बढ़ते मामले निसदेह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब जो कभी गुरुओं की भूमि और देश का 'फूडवाउल' के नाम से जाना जाता था, आज नशे के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं परंतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा विभाग ने नशे के दुष्प्रभावों को पाठयक्रम में शामिल किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य वहां के युवाओं पर निर्भर करता है, परंतु दुर्भाग्यवश आज के युवा नशे के जाल में फंस रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्रों को स्थापित किया गया है ताकि युवा नशे से चंगुल से बाहर आ सके। उन्होंने विभाग द्वारा नशा निवारण पर लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता निशा सिंह ने कहा कि लोगों को नशे की बुराई से अवगत करने के लिए एक माह तक चलने वाला यह विशेष अभियान पूरे प्रदेश में आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया सिविल सर्विस टूर्नामेंट की टीम को हरी झण्डी दिखाई। इस टूर्नामेंट में लगभग 35 टीमें भाग ले रही हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान नशे की बुराई से लड़ने के लिए आगे आए:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। बेरोजगार युवाओं के आर्थिक पुनर्वास और शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के लिए युवा सेवा एवं खेल, शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग को ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उन्मुक्त, आजीविका क्षमता और आर्थिक निर्भरता में मदद के लिए आगे आना चाहिए।

यह बात मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2019 तक नशा निवारण और शराबबंदी के लिए शिमला से आरम्भ किए जाने वाले विशेष अभियान से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना की प्रारम्भिक क्रियान्वयन समिति है। विभाग द्वारा युवाओं को चिन्हित कर निगम के साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने और बेरोजगार युवाओं को चिन्हित कर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाना चाहिए ताकि वह नशा माफिया के चंगुल में न फंसें।

उन्होंने कहा कि एक माह लम्बे इस अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। मुख्यतः अभिभावकों तथा बच्चों में नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों का संदेश देना है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और ऐसे युवाओं को आवश्यकता अनुसार कौशल विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए।

उन्होंने प्रदेश में इस अभियान पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशालय तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना को और प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना समय की मांग है। इस योजना के अतंर्गत युवाओं को अब तक 25 से 30 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने सभी विभागों और गैर-सरकारी संस्थानों से आहवान किया कि वह नशे की बुराई से लड़ने के लिए आगे आएं। विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और नोडल अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

जैसे ही भय आपके करीब आये, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिये..... चाणक्य

सम्पादकीय

राजनीति के बाद पत्रकारिता भी विश्वसनीयता के संकट में

क्या आज की पत्रकारिता विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। यह सवाल राष्ट्रीय प्रैस दिवस के अवसर पर सूचना एवम् जन संपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा इस संद्धर्भ में आयोजित एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए मुख्यमन्त्री जयराम के संबोधन से उभरा है। मुख्यमन्त्री ने अपने संबोधन में यह स्वीकारा कि आज की राजनीति अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इस स्वीकार के साथ ही मुख्यमन्त्री ने उसी स्पष्टता के साथ ही पत्रकारों और पत्रकारिता को भी यह नसीहत दी कि वह तो अपनी विश्वसनीयता बचाये रखने का प्रयास करें। मुख्यमन्त्री पिछले पच्चीस वर्षो से सक्रिय राजनीति में है इसलिये उनके इस कथन को एक ईमानदार स्वीकारोक्ति के साथ ही गंभीरता से लेना होगा। राजनीति और पत्रकारिता सामाजिक संद्धर्भो में एक दूसरे के पूरक हैं और इसी नाते एक -दूसरे के ह्रास के लिये भी बराबर के जिम्मेदार हैं। यह सही है कि आज की राजनीति पर ''धूर्तता का अन्तिम पड़ाव'' होने की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है और इसी का परिणाम है कि संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक में अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर राजनीतिक दल अपराधियों को ''माननीयों'' बनवाने में बराबर का भागीदार है। एक तरफ यह भागीदारी हर चुनाव के बाद बढ़ रही है तो दूसरी ओर हर दल अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टालरैन्स की प्रतिबद्धता भी लगातार दोहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 2014 में यह घोषणा की थी कि वह संसद को अपराधियों से मुक्ति दिलायेंगें प्रधानमंत्री के इस दावे को सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह आदेष पारित करके अपना समर्थन दिया था कि ''माननीया के मामलों का एक वर्ष के भीतर निपटारा किया जाये''। लेकिन प्रधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनो ही इस संद्धर्भ में पूरी तरह असफल हुए हैं। जब जब यह सब व्यवहारिक रूप में सामने आयेगा तो हर संवदेनशील ईमानदार व्यक्ति को यह कहना और मानना ही पड़ेगा कि सही में राजनीति अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।

अब पत्रकारिता भी विश्वसनीयता के इसी संकट से गुजर रही है। पत्रकारिता के इस संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज अधिकांश समाचार पत्र और न्यूज चैनल अंबानी -अदानी जैसे बड़े उद्योग घरानों की मलकीयत हो गये हैं। पत्रकार इनका नौकर होकर रह गया है क्योंकि उसे मालिक की नीयत और नीति दोनो की ही अनुपालना करने की बाध्यता हो जाती है। और उद्योग के हित सीधे सरकार से जुड़े ही नहीं बल्कि पोषित होते हैं। उद्योग घरानों को सरकार से अपना एनपीए खत्म करवाना होता है। अपनी ईच्छानुसार अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करवाना होता है। पत्रकार यह सब जानकारी रखते हुए इसे मालिक हित में जनता के साथ सांझी नही कर पाता है। यहीं से उसकी विश्वसनीयता का संकट शुरू हो जाता है क्योंकि यदि वह मालिक सरकार और नौकरशाह के नापाक गठजोड़ को जनता के सामने रखने का साहस दिखाता है तो इसके लिये उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। सरकारें भी ऐसे कड़वे सच को स्वीकारने का साहस नही रखती है बल्कि उनका अपना दमनचक्र शुरू हो जाता है। ऐसे में पत्रकार के पास अपनी दशा-दिशा पर चिन्तन मनन करने का अवसर ही नही रह जाता है। इस तरह के चिन्तन मनन का अवसर प्रैस दिवस के माध्यम से मिलता था। लेकिन आज जब प्रैस दिवस पर इस चिन्तन मनन के स्थान पर क्रिकेट मैच पत्रकारों की प्राथमिकता हो जायेगा तब यह प्रैस दिवस न होकर प्रैसरात्रि बन जायेगी।

क्योंकि आज की पत्रकारिता का यह सरोकार ही नही रह गया है कि ''गर तोप मुकाबिल होतो अखबार निकालो'' राष्ट्रीय प्रैस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय प्रैस परिषद राज्य सरकारों के सहयोग से करवाती है और प्रैस की आज़ादी सुनिश्चित करना उसका दायित्व रहता है। लेकिन क्या प्रैस परिषद यह दायित्व निभा पा रही है। अभी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गयी और मीडिया पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये तब इन प्रतिबन्धों को कश्मीर टाईमज़ ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। कश्मीर टाईमज़ की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रैस परिषद से भी जवाब मांगा था। प्रैस परिषद ने अपने जवाब में इन प्रतिबन्धों को जायज़ ठहराया। इस पर जब हंगामा हुआ तब परिषद ने अपना स्टैंड बदला इसी के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं सामने आयी जहां पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ कारवाई करते हुए गिरफ्तारीयां तक की। यह मामले भी शीर्ष अदालत तक पहुंचे। हिमाचल में भी कुछ मामले नालागढ आदि में सामने आये थे जहां पुलिस ने कारवाई की थी और उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसी कड़ी में हिमाचल का वह मामला जिसमें सोशल मीडिया में किसी गुमनाम कार्यकर्ता का पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार के नाम लिखा पत्र जब वायरल हुआ तब उस पत्र में लगाये गये आरोपों की कोई प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष जांच करवाये बिना ही उसमें पुलिस कारवाई को अजांम दे दिया गया और अभी तक यह जांच चल रही है।

यह सारे मामले ऐसे हैं जहां सरकार और पत्रकार/पत्रकारिता का सीधा रिश्ता संद्धर्भ मे आता है। सरकार और जनता के बीच संबंध और संवाद की भूमिका अदा करता है पत्रकार। कुछ हद तक यही भूमिका सरकार का गुप्तचर विभाग भी अदा करता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि गुप्तचर अपनी सारी जानकारी फाईल में बन्द करके सरकार के सामने रखता है जबकि पत्रकार उसी जानकारी को जनता के सामने रखता है। जब जनता में सीधे रखी गयी जानकारी सरकारी दावों और वायदो से हटकर होती है तो उस पत्रकार को सरकार का विरोधी करार दे दिया जाता है उसकी बेबाक आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और यहीं से विश्वसनीयता का सरोकार खड़ा हो जाता है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावों में जीत के जो दावे और आंकड़े सत्तापक्ष जनता में रख रहा था उन्हीं आंकड़ो और दावों पर ही मीडिया अपनी मोहर लगाता जा रहा था लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आये तो यह आंकड़े और दावे सभी हवा-हवाई सिद्ध हुए। इन अनुमानों का गलत साबित होना राजनीतिक दलों से ज्यादा मीडिया की साख पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता अपने आप सवालों में आ जाती है।

आज की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में राजनीति के बाद न्यायपालिका और पत्रकारिता की विश्वसनीता पर प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये हैं। यही आने वाले समय का सबसे बड़ा संकट होने वाला है। ऐसे समय में एक मुख्यमन्त्री का बेबाक स्वीकार अपने में प्रशंसनीय है। लेकिन इसी के साथ मुख्यमन्त्री से ही यह उम्मीद भी की जानी चाहिये कि वह अपने राज्य में तो राजनीति और पत्रकारिता दोनों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये ईमानदारी से प्रयास करेंगे।

राफेल खरीद पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय का फैसला

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की जांच की मांग करने वाली याचिका पर 14 दिसंबर, 2018 को स्पष्ट निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश के विरूद्ध बाद में दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं को स्पष्ट रूप से गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया है और इस तरह रक्षा खरीद प्रक्रिया पर सुरक्षाबलो के मनोबल पर विपरीत प्रभाव डालने वाले निंदनीय कार्यो और शंका की स्थिति का पटाक्षेप हो गया है।

* माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14 नवम्बर, 2019 के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनर्विचार याचिकाएं निराधाार हैं और इसलिए खारिज की जाती हैं।

* न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए याचिका दायर करने वालों के बारे में टिप्पणी की है कि 'ऐसा दिखता है कि सौदे के प्रत्येक पहलू को निर्धारित करने के लिए याचियों ने स्वयं को अपीली प्राधिकार बनाने का प्रयास किया है और न्यायालय से ऐसा ही करने को कहा। हम इसे उपयोग करने योग्य क्षेत्रधिकार नहीं मानते।' (बल दिया गया)

* न्यायालय ने निर्णय प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा है कि 'सक्षम प्राधिकार द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया गया और व्यक्त किये गए विभिन्न विचारों को समझा गया और निपटा गया। सौदा होने से पहले प्रत्येक विचार को परिपालन समझे जाने वाले विभिन्न विचारों को एक रिकॉर्ड में रखना लगभग असंभव होगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार-विमर्श का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। 'न्यायालय ने आगे कहा कि 'निसंदेह रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान विचार व्यक्त किये गए, जो लिये गए निर्णय से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस और विशेषज्ञों की राय की व्यवस्था होती है और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाता है, जैसा कि लिया गया है।' (बल दिया गया)

* अदालत ने कहा है कि '14.12.2018 के अपने आदेश में 'निर्णय प्रक्रिया', 'मूल्य', तथा 'ऑफसेट' शीर्षक के अंतर्गत पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विस्तार से विचार किया गया है।

* न्यायालय ने लड़ाकू विमान की आवश्यकता और खरीद प्रक्रिया में विलम्ब पर सही टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि हम विमानों के लिए सौदे पर विचार कर रहे हैं, जो कुछ समय से विभिन्न सरकारों के समक्ष लम्बित था और इन विमानों की आवश्यकता को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं रहा।'

* अदालत ने मूल्य के बारे में सरकार की इस दलील को वैध माना है कि पहले के सौदे की तुलना में विमान का मूल्य कम है और टिप्पणी की कि 'इस तरह मूल विमान के मूल्य की तुलना की जानी थी जो कि कम था। यह सक्षम प्राधिकार के निर्णय पर छोड़ना होगा कि विमान पर क्या लादना चाहिए और क्या नहीं तथा आगे का मूल्य क्या होना चाहिए।'

* प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने, सीबीआई द्वारा जांच कराने तथा न्यायपालिका के पुनर्विचार को अपरिवक्व बताने संबंधी याचियों की दलील के बारे में न्यायालय ने कहा कि 'हम इसे उचित निवेदन नहीं मानते..... याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सहित सभी अधिवक्ताओं ने इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं की एफआईआर दर्ज कराने और आगे जांच कराने के लिए मांग की गई थी लेकिन गुण-दोष के आधार पर तीनों पहलुओं को देखने के बाद हम कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझते, जैसा कि याचियों द्वारा प्रार्थना की गई है। याचियों को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि इस उपाय को अपनाने के बाद अब वे न्याय प्रक्रिया चाहते हैं जो कि उनके द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्था से वास्तव में भिन्न हैं' (बल दिया गया)

* न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2018 को दिए गए निर्णय के पैरा 25 में गलती को सुधारने के लिए भारत संघ की मांग को स्वीकार कल लिया। यही गलती पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए प्रमुख आधार बनी और इसे निम्नलिखित रूप मे सुधार दिया गया है।

* 'सरकार ने पहले ही सीएजी के साथ मूल्य से संबंधित विवरणों को साझा किया है। अपने सामान्य कामकाज में पीएसी द्वारा सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। केवल रिपोर्ट का संशोधित संस्करण संसद के समक्ष और सार्वजनिक रूप से रखा गया है।

* 14 दिसंबर, 2018 के माननीय न्यायालय के निर्णय को निम्नलिखित रूप में उदृत करना आवश्यक होगा :

'पर्याप्त सैन्य शक्ति तथा बाह्य आक्रमण को हत्तोसाहित करने और मुकाबला करने की क्षमता तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षित रखना निसंदेह देश की सर्वोच्च चिंता का विषय है। इसलिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी और सामग्री समर्थन के साथ रक्षा बलों को सशक्त बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।'

-पसूका-

ट्राउट उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश

♦ वर्ष 2020 – 21 में 800 मीट्रिक टन ट्राउट मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित

हिमाचल प्रदेश की बारहमासी नदियां, ट्राउट मछली उत्पादन और मछुआरों को अपनी आमदनी में वृद्धि के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं। राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश में प्रमुख ट्राउट मछली उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। इस वित्त वर्ष दौरान ट्राउट मछली उत्पादन रिकार्ड 685 मीट्रिक टन होने की संभावना है। राज्य सरकार ने सीएसएस – नीति क्रांति के अंतर्गत शिमला, चंबा और कांगड़ा में ट्राउट मछली के आउटलेट खोलने का फैसला किया है जिन्हें शीघ्र कार्यशील बनाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में ब्यास, सतलुज और रावी नदियों की बर्फीली नदियों में मत्स्य पालन आरम्भ गया है, जो पहाड़ी राज्यों में ट्राउट के लिए सबसे अनुकूल है। प्रदेश के सात ट्राउट मछली उत्पादन जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में वर्ष 2018 – 19 के दौरान 2558 लाख रुपये का कुल 568. 443 मीट्रिक टन ट्राउट मछली उत्पादन दर्ज किया गया।

मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के अनुसार, राज्य ने वर्ष 2020 – 21 के दौरान ठंडे पानी में 800 मीट्रिक टन ट्राउट मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्ष 2021 – 22 के लिए 950 मीट्रिक टन ट्राउट मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मत्स्य पालन विभाग ने ट्राउट मछली की बिक्री के लिए 940 ट्राउट इकाईयां विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी विपणन नीति भी तैयार की है। विभाग फिश वैन के माध्यम से ट्राउट मछली के विपणन के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान ट्राउट क्लस्टर स्थापित करेगा। वर्तमान में राज्य में होने वाले ट्राउट मछलियों के उत्पादन में से लगभग 50 प्रतिशत की बिक्री मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई आदि जैसे महानगरों के पाँच सितारा होटलों में की जा रही है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में ट्राउट मछली उत्पादन के कार्य से जुड़े लगभग 500 परिवारों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाकर महानगरीय शहरों में विपणन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। मत्स्य विभाग आईसीएआर – सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीच्यूट, कोच्चि के सहयोग से मछली बिक्री के लिए ऑनलाईन पोर्टल भी विकसित कर रहा है।

मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू जिले के पतीकूहल, हामनी, चम्बा जिले के होली ठैला और भांदल, जिला मंडी के बड़ोट, किन्नौर जिला के सांगला और जिला शिमला के धमवाड़ी में ट्राउट फार्म स्थापित किए गए हैं। सरकार ने ट्राउट फार्मिंग सात जिलों में निजी क्षेत्र में 29 ट्राउट हैचरी स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। आने वाले वर्षों में कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों स्थापित

सीएसएस – बीआर और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये हैचरी होंगी और प्रत्येक हैचरी में प्रति वर्ष 2. 00 लाख की ट्राउट ओवा उत्पादन क्षमता होगी।

राज्य सरकार ट्राउट मछली उत्पादन से जुड़े किसानों को गुणवत्ता वाले बीज और फीड प्रदान करने के लिए मछली बीज प्रमाणीकरण और मान्यता एजेंसी स्थापित करने की भी योजना बना रही है। ट्राउट मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए, कुल्लू जिले के ट्राउट फार्म पतलीकुहल में स्मोक्ड ट्राउट कैनिंग सेंटर भी तैयार किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के अंतर्गत ट्राउट इकाइयों, हैचरी, फीड मिलों, खुदरा दुकानों आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। विभाग राज्य योजना के तहत ट्राउट उत्पादकों को ट्राउट बीमा भी प्रदान कर रहा है।

मछली उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकताओं में एक है, जो मछली उत्पादों के लिए फसल के बाद के बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करता है और उन्हें लाभकारी बाजार उपलब्ध कराता है।

त्रि–आयामी चिकित्सा से मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों को राहत प्रदान कर रहा सोलन स्थित मानव–मंदिर

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कोठों गांव में स्थित मानव – मंदिर मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आशा की एक किरण बनकर उभरा है।

मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे – धीरे कमजोर होती जाती हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति चलने – फिरने में असमर्थ हो जाता है और वह अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अन्य पर आश्रित हो जाता है। यह एक तंत्रिकापेशीय अनुवांशिक विकार (न्यूरोमस्क्युलर जेनेटिक डिस्ऑर्डर) है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4000 बच्चों का जन्म मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोग के साथ होता है। यह रोग युवावस्था में भी हो सकता है। अभी तक इस रोग का कोई उपचार ज्ञात नहीं है।

ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सोलन जिला के कोठों गांव में स्थापित मानव – मंदिर द्वारा उपचार एवं फिजियोथेरेपी के साथ – साथ हाईड्रोथेरेपी की सुलभ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मानव – मंदिर में इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी की बेहतर सेवाएं उपलब्ध हैं। केंद्र में आधुनिक उपकरणों के साथ रोगियों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मानव – मंदिर पुनर्वास केन्द्र मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी के लिए एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है। यहां इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का भौतिक चिकित्सा एवं योग के माध्यम से उपचार किया जाता है। मानव – मंदिर इस सोच के साथ कार्य कर रहा है कि पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करके ही उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जा सकता है।

इस बीमारी से लड़ने के लिए रोगियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। मानव – मंदिर में न

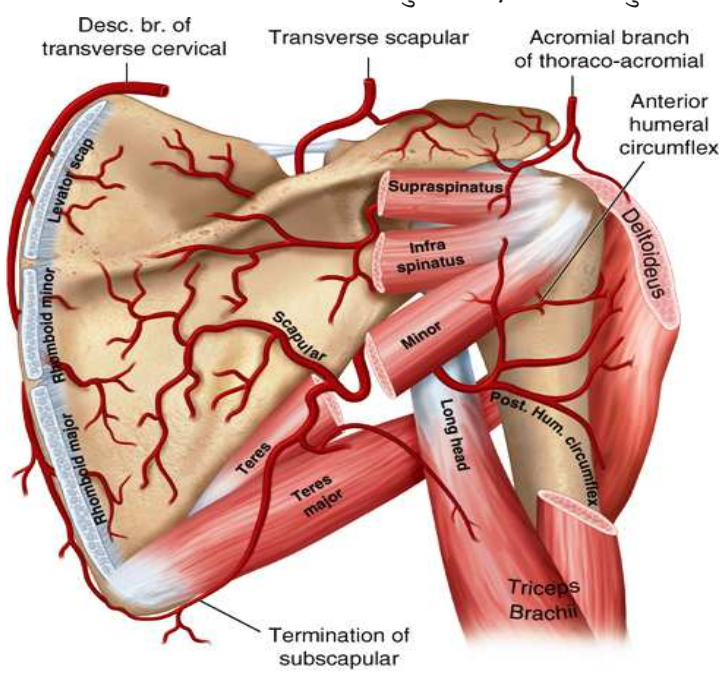

केवल रोगियों की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए योग एवं ध्यान का प्रयोग किया जाता है अपितु विभिन्न प्रकार की थेरेपी एवं उपचार के माध्यम से रोगियों की आंतरिक शक्ति का विकास भी किया जाता है।

मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाईलाज बीमारी के विषय में देश एवं प्रदेश में लोगों को जागरूक बनाने एवं उन्हें एक ही स्थान पर त्रि – आयामी चिकित्सा प्रदान करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (आईएएमडी) काम कर रही है। संस्था का मुख्यालय वर्ष 1992 से सोलन में कार्यरत है। संस्था नियमित रूप से इस रोग से पीडित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के साथ – साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। संस्था द्वारा स्थापित मानव – मंदिर में रोगियों की संपूर्ण देखभाल, रोग प्रबंधन, पुनर्वास, अनुसंधान एवं उपचार सुनिश्चित बनाया जा रहा है। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां इस बीमारी के लिए समर्पित कार्य किया जा रहा है। आईएएमडी द्वारा वर्तमान में चंडीगढ़ तथा दिल्ली में इस रोग से पीड़ित रोगियों की फिजियोथेरेपी तथा परामर्श के लिए 'राहत' केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं।

मानव – मंदिर में इस रोग पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ – साथ आवासीय फिजियोथेरेपी, उचित देखभाल प्रबंधन, व्हील चेयर स्पोर्ट, आर्थिक सहायता और परीक्षण की सुविधा दी जा रही है। यहां मरीजों को हाईड्रोथेरेपी भी प्रदान की जा रही है। हाईड्रोथेरेपी अर्थात जल द्वारा उपचार की विधा को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।

यहां पीड़ित रोगियों के लिए माह में 3 शिविर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2017 से अब तक आयोजित 100 से अधिक शिविरों में लगभग 1000 रोगियों का उपचार किया जा चुका है।

आईएएमडी के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और संस्था को अब तक अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनमें वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2006 में हिमोत्कर्ष पुरस्कार, वर्ष 2009 में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त राज्य पुरस्कार, वर्ष 2010 में सीएनएन आईबीएन – 7 पुरस्कार, वर्ष 2011 में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सक्षम पुरस्कार, वर्ष 2011 में प्रतिष्ठित दिव्य हिमाचल समूह द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए पुरस्कार, वर्ष 2014 में आर्ट ऑफ लीविंग संस्था द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार, वर्ष 2018 में महिला आयोग पुरस्कार तथा आईसीडीएस द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार प्रमुख हैं।

केंद्र रोगियों के लिए नि:शुल्क एंबुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। यह सेवा सोलन स्थित मुरारी मार्केट से प्रात: 10.00 बजे, पुराने उपायुक्त कार्यालय से प्रात: 10.10 बजे तथा कोटलानाला चौक से प्रात: 10.20 बजे उपलब्ध है।

भगवान शिव को समर्पित एशिया के सबसे ऊंचे जटोली मंदिर के समीप स्थित मानव मंदिर उन रोगियों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है जो संभवत: जीवन की आस छोड़ बैठे थे।

भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तर

आज की परीक्षा प्रणाली में बच्चों के ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा आंकलन करने के लिये Objective Type प्रश्नों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर कहीं तो एक शब्द तक ही सीमित रहते हैं और कभी एक वाक्य तक पहुंच जाते हैं। इस दिशा में ऐसे ही कुछ प्रश्न और उनके उत्तर पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं।

प्र.– भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
उ.– 26 जनवरी 1950
प्र.– मिन्टो–मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था?
उ.– 1909 में
प्र.– रेगुलेटिंग ऐक्ट कब पारित किया गया था?
उ.– 1773 ई. में
प्र.– 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर सविंधान सभा के गठन की मांग की थी?
उ.– जवाहरलाल नेहरू ने
प्र.– विधानसभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी?
उ.– बाल गंगाधर तिलक ने
प्र.– संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कौन से भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था?
उ.– भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
प्र.– भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
उ.– भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा
प्र.– भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
उ.– केबिनेट मिशन प्लान 1946
प्र.– भारत की संविधान सभा किस के अनुसार गठित की गई?
उ.– केबिनेट मिशन योजना के अनुसार
प्र.– पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई?
उ.– 299
प्र.– भारतीय संविधान सभा (पुनर्गठित) में देशी रियासतो के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
उ.– 70
प्र.– संविधान सभा में किस प्रान्त का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था?
उ.– संयुद्र प्रान्त का
प्र.– संविधान सभा में किस में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था?
उ.– हैदराबाद के
प्र.–. भारतीय संविधान को किसने बनाया?
उ.– संविधान सभा ने
प्र.– संविधान सभा के लिए चुनाव कब पूरा हुआ?
उ.– 1946 में
प्र.– भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई?
उ.– 9 दिसम्बर 1946
प्र.– संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ?
उ.– दिल्ली में
प्र.– संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
उ.– सच्चीदानंद सिन्हा ने
प्र.– संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था?
उ.– 9 दिसम्बर 1946
प्र.– कौन–से साल में भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य बना?
उ.– 1950 में
प्र. – भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
उ. – 9 दिसम्बर 1946
प्र. – संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष कौन था?
उ.– डॉ. राजेंन्द्र प्रसाद।
प्र.– संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था?
उ.– डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
प्र.– संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
उ.– डॉ. भीमराव अम्बेडकर।
प्र.– संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की?
उ.– बाल गंगाधर तिलक।
प्र.– संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे?
उ.– 70
प्र.– संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया?
उ.– हैदराबाद ।
प्र.– बी. आर. अम्बेडकर कहां के संविधान सभा में निर्वाचित हुए?
उ.– बंगाल से।
प्र. –संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था?
उ.– बी. एन. राव ।
प्र.– संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ।
उ.– 29 अगस्त 1947
प्र.–संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
उ.–जवाहर लाल नेहरू।
प्र.– संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
उ.– स्वराज पार्टी ने 1924 में।
प्र.– संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया?
उ.– 26 नवम्बर 1946
प्र.– संविधान को बनाने में कितना समय लगा?
उ.– 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ।
प्र.– संविधान में कितने अनुच्छेद है?
उ.– 444
प्र.– संविधान में कितने अध्ध्याय है?
उ. – 22
प्र. – भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियां है?
उ. – 12
प्र. – संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ?
उ.– वर्गीय मताधिकार पर

क्या आप जानते हैं

प्र.– किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?
उ. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने
प्र.– भारत के कौन से राष्ट्रपति 'द्वितीय पसंद (Second Preference) के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए?
उ.– वी. वी. गिरि
प्र.– संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? उ. अनुच्च्छेद 360
प्र.– भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
उ. एकल नागरिकता
प्र.– प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को किस स्थान पर किया था?
उ. नागौर (राजस्थान)
प्र.– लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है?
उ. 1/10
प्र.– पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उ. राष्ट्रीय विकास परिषद
प्र.– राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
उ. राज्यपाल
प्र.– नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है?
उ. संसद को
प्र.– भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है?
उ. प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा
प्र.– भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
उ. राष्ट्रपति में
प्र.– राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ?
उ. 3 अप्रैल, 1952
प्र.– संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है?
उ.– 60 दिन
प्र.– लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है?
उ. लोकसभा के सदस्य
प्र.– क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्य सभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं?
उ. हाँ, भेजते हैं।
प्र.– केन्द्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
उ. राष्ट्रपति
प्र.– राष्ट्रपति पद के चुनाव सम्बन्धी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है?
उ. सर्वोच्च न्यायालय को
प्र.– देशी नरेशों के प्रिवीपर्सो और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया?
उ. 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा
प्र.– संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था?
उ. कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर

वैज्ञानिक नाम

1. मनुष्य– होमो सैपियंस
2. मेढक– राना टिग्रिना
3. बिल्ली– फेलिस डोमेस्टिका
4. कुत्ता– कैनिस फैमिलियर्स
5. गाय– बॉस इंडिकस
6. भैंस– बुबालस बुबालिस
7. बैल– बॉस प्रिमिजिनियस टारस
8. बकरी– केप्टा हिटमस
9. भेंड़– ओवीज अराइज
10. सुअर– सुसस्फोका डोमेस्टिका
11. शेर– पैंथरा लियो
12. बाघ– पैंथरा टाइग्रिस
13. चीता– पैंरा पार्डुस
14. भालू– उर्सुस मैटिटिमस कार्नीवेरा
15. खरगोश– ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस
16. हिरण– सर्वस एलाफस
17. ऊँट– कैमेलस डोमेडेरियस
18. लोमडी– कैनीडे
19. लंगुर– होमिनोडिया
20. बारहसिंघा– रुसर्वस डूवासेली
21. मक्खी– मस्का डोमेस्टिका
22. आम– मैग्नीफेरा इंडिका
23. धान– औरिजया सैटिवाट
24. गेहूँ– ट्रिक्टिकम एस्टिवियम
25. मटर– पिसम सेटिवियम
26. सरसो– ब्रेसिका कम्पेस्टरीज
27. मोर– पावो क्रिस्टेसस
28. हाथी– एफिलास इंडिका
29. डॉल्फिन– प्लाटेनिस्टा गैंकेटिका
30. कमल– नेलंबो न्यूसिफेरा गार्टन
31. बरगद– फाइकस बेंधालेंसिस
32. घोड़ा– ईक्वस कैबेलस
33. गन्ना– सुगरेन्स औफिसीनेरम
34. प्याज– ऑलियम सिपिया
35. कपास– गैसीपीयम
36. मुंगफली– एरैकिस
37. कॉफी– कॉफिया अरेबिका
38. चाय– थिया साइनेनिसस
39. अंगुर– विटियस
40.हल्दी– – –कुरकुमा लौंगा
41. मक्का– जिया मेज
42.टमाटर– लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम
43. नारियल– कोको न्यूसीफेरा
44. सेब– मेलस प्यूमिया/ डोमेस्टिका
45. नाशपाती– पाइरस क्यूमिनिस
46. केसर– क्रोकस सैटिवियस
47.काजू– एनाकार्डियम अरोमैटिकम
48. गाजर– डाकस कैरोटा
49. अदरक– जिँजिबर ऑफिसिनेल
50. फुलगोभी– ब्रासिका औलिरेशिया
51. लहसून– एलियम सेराइवन
52. बाँस– बेंबुसा स्पे
53. बाजरा– पेनिसिटम अमेरीकोनम
54. लालमिर्च– कैप्सियम एनुअम
55. कालीमिर्च– पाइपर नाइग्रम
56. बादाम– प्रुनस अरमेनिका
57. इलायची– इलिटेरिया कोर्डेमोमम
58. केला– म्यूजा पेराडिसिएका
59. मुली– रेफेनस

मीडिया कर्मियो को पत्रकारिता के उच्च स्तर को बनाए रखना चाहिए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। स्वतंत्र प्रेस जीवंत और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है तथा प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे वह पत्रकारिता हो या कोई अन्य प्रोफेशन, परिश्रम और सर्म्पण का कोई विकल्प नहीं है इसलिए अपने प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मियों को हमेशा पत्रकारिता के उच्च स्तर को बनाए रखना चाहिए और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना करनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज को फैलने से रोकना चाहिए तथा गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रोफेशन की एक नैतिकता होती है और इसे कायम रखा जाना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वसनियता पत्रकारिता की रीढ़ है क्योंकि यदि एक बार विश्वसनियता समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह पत्रकारों का कर्तव्य है कि रिपोर्टिंग से पहले उचित तरीके से तथ्यों की जांच करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार से प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज मजबूत और प्रभावशाली मीडिया बनकर उभरा है, लेकिन इसके साथ यह गलत सूचना फैलाने के कारण एक बड़ा खतरा भी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी मुख्य मीडिया में भी पाई जा रही है चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलैक्ट्रोनिक मीडिया।

तकनीकी आधुनिकीकरण के कारण दुनिया के मीडिया परिदृश्य में बदलाव आ गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा आम लोगों को काफी जानकारी प्राप्त होती है और यह राय बनाने तथा विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्णय लेने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। मीडिया ही लोगों को नई जानकारी प्रदान करता है और उनकी आस-पास की दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में भी अवगत करवाता है तथा समाज में हर किसी को मीडिया से कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है।

मीडिया लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और इसे राजनीतिक लोकतंत्र का 'सजग प्रहरी' भी माना गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली है।

हमीरपुर की सहकारी सभाएं कर रही अच्छा प्रदर्शन :धूमल

शिमला/शैल। गांव की छोटी छोटी सहकारी सभाओं में अच्छा काम कर प्रधानमंत्री के सपने को साकार बनाने में अपना योगदान दें। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के गसोता में 66वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के तहत जिला सहकारी विकास संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहकारी सभाओं से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करते हुए क्या बात कही। उन्होंने कहा कि सहकार आंदोलन ने साहुकारी प्रथा को बंद कर समाज में ईमानदारी को स्थापित किया था, सहयोग को स्थापित किया था। जब सब मिल कर आपस में सहयोग से अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब वह एकजुट प्रयास निश्चित रूप से भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी सभाएं निश्चित रूप से उचित दिशा में अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ेंगी और साथ में जो एक बदनुमा दाग सहकार आंदोलन पर लगा है, उसको मिटाने की दिशा में काम करेंगी। समूचे हिमाचल प्रदेश में सहकार आंदोलन के क्षेत्र में जिला हमीरपुर नंबर एक पर आता है। यहां की बहुत सी सहकारी सभाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव के मेहनती लोग अपने जीवन भर की कमाई को सहकारी सभाओं में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन कई बार कुछ लालची लोग गलत काम करते हैं जिससे सारी की सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला सहकारी विकास संघ को बधाई देते हुए कहा कि हमीरपुर जिला में सहकारी आंदोलन उचित दिशा व उन्नति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 15 अरब 87 करोड से भी अधिक की कार्यशील पूंजी जिला भर में सहकार आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की मेहनत का परिणाम है।

इस अवसर पर जिला भर के सहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों और सहकारी सभाओं के नुमाइंदों में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मुख्यतिथि ने स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर धरातल पर कार्य आरम्भ करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किए है कि प्रदेश में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर शीघ्र ही धरातल पर कार्य आरम्भ करने की दिशा में वे सक्रिय रूप से कार्य करें। वह वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2019 के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रमुख व्यवसाय समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि कम्पनी को उनकी परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया में हो रही प्रगति पर निरंतर सम्पर्क रखा जा सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं के लिए भी विशेष समर्पित अधिकारी तैनात किए जाएं, जो विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी रख सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी भूमि को मिलाकर भूमि बैंक स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएं ताकि संभावित

निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो भूमि बैंक के समुचित समन्वय के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 92819 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 89302 करोड़ रुपये के 610 समझौता ज्ञापनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एम.ओ.यू. को इस पोर्टल अपलोड किया जाए क्योंकि समझौता ज्ञापनों की स्थिति जानने का यही एकमात्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो नई नीतियां तैयार की है, उन्हें विभाग अधिसूचित करें ताकि निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन ऐजेंसी स्थापित करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 दिसम्बर, 2019 को प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर होने वाले समारोह से पूर्व 10 हजार करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को पर्यावरण स्वीकृतियों और धारा 118 की स्थिति के बारे में भी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिन्हित करने और बी2जी बैठकों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करेंगे।

सोलन में आश्रम के भवन निर्माण को एच्छिक निधि से 05 लाख रुपए देने की घोषणा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमगिरी कल्याण आाश्रम जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के जरूरतमन्द छात्रों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर सोलन जिला के शिल्ली स्थित हिमगिरि कल्याण आश्रम में आयोजित जनजातीय गौरव एवं वार्षिक उत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में

सम्बोधित कर रहे थे।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसे पुनीत कार्यो के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने आश्रम के 05 छात्रों का आश्रम के नियमों के अनुरूप धर्मपालक बनने की घोषणा की। धर्मपालक के रूप में वे प्रति बच्चा प्रति वर्ष 11,000 रूपए की दर से खर्च वहन करेंगे। उन्होंने सोलन में आश्रम के भवन निर्माण कार्य के लिए अपनी एच्छिक निधि से 05 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वे प्रतिवर्ष आश्रम में अपनी और से कुछ पुस्तकें भी भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमगिरी कल्याण आश्रम सोलन को प्रतिवर्ष खेल किटें, कपड़े एवं तौलिए इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि आश्रम की गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि किसी न किसी रूप में समाज के वंचित वर्गो की सहायता का संकल्प लें और सामर्थ्य अनुरूप समय दान एवं अंशदान करें।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमगिरी कल्याण आश्रम विभिन्न कार्यो के माध्यम से युवाओं को संस्कारी एवं शिक्षित बनाने का कार्य कर रहा है। उन्होने कहा कि देश के 90 प्रतिशत जनजातीय जिलों में वनवासी आश्रम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। यह सब राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की प्रगतिशील एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश की सोच तथा समाज के सक्रिय योगदान से ही सम्भव हो पाया है। उन्होंने सोलन स्थित आश्रम के लिए उदारतापूर्वक अंशदान करने वाले सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वे जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और इसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ कार्यरत रहें। उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है तथा सत्त प्रयत्नशील रहने पर ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा धर्मशाला में विश्व के सुन्दरतम क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण इसका जीवन्त उदाहरण है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर अपने लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में छात्रों एवं रोगियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे नवीन प्रयासों की जानकारी भी दी। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में उनके द्वारा 200 मेधावी छात्रों को चिन्हित कर भारत दर्शन करवाया जा रहा है। इससे युवाओं की मानसिक एवं तार्किक क्षमताओं को अन्नत विस्तार मिला है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में ही उन्होंने 14 अप्रैल, 2018 को 03 मोबाईल वाहनों के माध्यम से गांव-गांव तक 'चलते-फिरते अस्पताल' योजना आरम्भ की और अभी तक 01 लाख 75,000 लोगों को इन वाहनों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी से आग्रह किया कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें ताकि भारत विश्व गुरू बन कर उभरे और वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या टी सी पी की अधिसूचना से एन जी टी के आदेशों की अवहेलना संभव हो पायेगी

इन्वैस्टर मीट के परिप्रेक्ष

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार प्रदेश में औद्यौगिक निवेश लाने के लिये कितनी गंभीर है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व ही निवेशक को विभिन्न विभागों से जो ई सी और एनओसी लेने पड़ते थे उनमें आठ अधिनियमों को लेकर यह छूट दी गयी है कि यह एनओसी पूर्व में ही लेने की बजाये तीन वर्षो के भीतर कभी भी लिये जा सकते हैं। यह छूट वाकायदा एक अध्यादेश लाकर अधिसूचित की गयी है। लेकिन इन आठ अधिनियमों भू राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत ली जाने वाली अनुमतियों में कोई छूट नहीं दी गयी है। इसमें केवल यही छूट है कि पहले उद्योगपति को जमीन चिन्हित करके उसका पर्चा गरदावरी लेकर वाकायदा खसरा नम्बर और जमीन मालिक के साथ खरीद की सहमति का प्रमाण देना होता था। अब इसमें सिर्फ इतने से ही उद्योग स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी कि कुल कितना रकवा चाहिये। इसमें खसरा नम्बर और जमीन मालिक का ब्योरा देने की आवश्यकता पूर्व में ही नही होगी। यह राहत अपने में बड़ी राहत है। लेकिन सरकार की इस घोषित राहत के बाद 5 नवम्बर को जो अधिसूचना टीपीसी की ओर से जारी की गयी है उसका सरकार की घोषणा के साथ थोड़ा विरोधाभास है।

टीपीसी की अधिसूचना में जो प्रस्तावित है उसके मुताबिक उद्योगों को चार भागों में बांटा गया है और 150 वर्ग मीटर भूमि से लेकर 10,000 वर्ग मीटर या उससे भी अधिक भूमि उद्योगपति ले सकता है। लेकिन प्रस्तावित उद्योग के भवन निर्माण के पश्चात् जब बिजली, पानी और सीवरेज का कनैक्शन लेना होगा तब यह कनैक्शन लेने के लिये नियम 19A में स्पष्ट कहा गया है कि **Minimum area of plot**

(a) For small scale industry shall be 150 M^2 to 500 M^2

(b) For services/ light scale industry shall be above 500 M^2 to 1000 M^2

(c) For medium scale industry shall be above 1000 M^2 to 5000 M^2 .

(d) For large and heavy scale industry shall be above 5000 M^2 to 10000 M^2 and above 10000 M^2

"19A grant of No. Objection Certificate or Completion Certificate - The No. Objection Certificate for releasing Service Connections or completion Certificate in respect of the Building shall be granted by the Director after satisfying himself about completion of construction of building as per approved plan /revised section to be carried out by the owner."

यह कनैक्शन निदेशक टीसीपी की Satisfaction पर ही मिल पायेगा और इसके लिये कोई समय सीमा तय नही की गयी है। निदेशक की संतुष्टि की जब तक समय सीमा नहीं तय होगी तब तक निवेशक को मिली अन्य सुविधाओं का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता है। उद्योगों के साथ ही सरकार ने "Real Estate के लिये भी विशेष राहतें प्रदान की हैं। इसमें किसी भी प्रौजैक्ट के लिये भूमि की कोई सीमा नहीं रखी गयी है इसी के साथ इसकी भी कोई बंदिश नहीं होगी कि निर्माण कितनी मंजिल का होगा। बल्कि यह भी सुविधा दी गयी है कि यदि किसी प्रौजैक्ट के लिये उसके साथ लगती या बीच में सरकारी या निजि भूमि से निर्माण में कठिनाई आती है तो ऐसी सरकारी भूमि प्रौजैक्ट को लीज़ पर दी जा सकती है। निजि भूमि का सरकार अधिग्रहण करके प्रौजैक्ट को देगी।

2. Incentives for promoters:

(i) The State Government will facilitate in providing all Statutory Clearances.

(ii) The State Government will provide assistance in consolidation of land if any identified site falls adjacent to the Government Land or any Government Land falls within the identified site for Real Estate Project/ Township, the same land will be considered for transferred to applicant/ investor on lease basis.

(iii) Incentives /Subsidies shall be given to the applicant/investors for providing various infrastructures like parks, roads, electricity Lines, sewage Line and drainage Line etc.

(iv) Integration of various State and Central sponsored schemes/ policies/mission etc.

(v) Incentives on timely completion of projects (credit Linked subsidy on affordable housing) इस तरह सरकार ने रियल एस्टेट को पूरा प्रोत्साहन देने की नीति घोषित कर रखी है। लेकिन जो अधिसूचना टीसीपी ने अभी जारी की है उसके नियम 31 में स्पष्ट किया गया है। कि " The onus of obtaining all the necessary approvals/ clearances required from all the concerned Departments in respect of Self - Declaration / Certificate given by the applicant before starting actual execution of the work shall be on the applicant . The Department of Town & Counrty Planning shall not b e Liable for any violations done by the applicant in respect of other applicable acts, rules and any Legal dispute."

सरकार औद्यौगिक निवेश आमन्त्रित करने में पूरे एक वर्ष से काम कर रही है। इसके प्रयासों से 93000 करोड़ का निवेश आने की संभावना भी बनी है क्योंकि इसके लिये निवेशकों ने समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित कर रखे हैं। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दे चुकी है इसके लिये वाकायदा एक अध्यादेश भी जारी किया गया है और आने वाले विधानसभा सत्र में इस आशय का विधेयक भी लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि रियल ऐस्टट में काफी निवेश प्रदेश में आ सकता है। इसके लिये सरकार ने ऐसे निमार्णो पर मंजिलों का क ा े इ ं प्रतिबन्ध भी नहीं लगा रखा है लेकिन जब से एनजीटी ने प्रदेश के प्लानिंग क्षेत्रों में अढ़ाई मंजिल के ही निर्माण की शर्त लगा रखी है तब से यह सवाल बड़ा अहम हो गया है कि एनजीटी के इस आदेश की अनुपालना सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी। प्रदेश के शिमला, सोलन, कसौली, कुल्लु- मनाली, धर्मशाला और चम्बा, डलहौजी जैसे क्षेत्रों मे हुए निर्माणों को लेकर संवद्ध सरकारी प्रशासन एनजीटी से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक की प्रताड़ना का शिकार हो चुका है। सरकार ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये जब सदन में विधेयक पारित किया था और उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाने के लिये कांग्रेस और भाजपा ने हाथ मिलाया था तब उस विधेयक के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन याचिकायें आयी थी। उच्च न्यायालय ने उस विधयेक को रद्द करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights:- The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention, be void." अदालत ने निर्माणों को लेकर जो आदेश जारी किये हैं वह प्रदेश के गंभीर भूकंप जोन में होने के कारण किये हैं। क्या आज रियल ऐस्टट को इस तरह का बढ़ावा देने से वह खतरा खत्म हो जाता है।

भू अधिनियम की धारा 118 में ...

पृष्ठ 1 का शेष

इसमें बाधा नही बन सकता है।Transfer of land to non-agriculturists barred-(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law contract, agreement, custom or usage for the time being in force , but save as otherwise provided in this chapter, no transfer of land (including sales in execution of a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale gift exchange, lease, mortgage with possession or creation of a tenancy shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist.

प्रदेश में लैण्ड सीलिंग एक्ट भी लागू है। इसकी धारा 6 में स्पष्ट कहा गया है कि तय भूमि सीमा से अधिक जमीन किसी भी तरह से नही रखी जा सकती है ceiling on land – Notwithstanding anything to the contrary contained in any law , custom usage or agreement , no person shall be entitled to hold whether as a landowner or a tanant or mortgagee with possession or party in one capacity and partly in another, the land within the state of Himachal Pradesh exceeding the permissible area on or after the appointed day. लेकिन सरकार में इसकी खुले आम अवहेलना की जा रही है। 960 बीघे जमीन एक स्टोन क्रशर को लीज़ पर दी गयी है विजिलैन्स के पास वर्षो से इसकी शिकायत लंबित चल रही है। लेकिन कोई कारवाई नही है। अब इन्वैस्टर मीट के बाद कुछ उद्योगों ने सैंकड़ो बीघे जमीन की मांग सरकार से की है। इन उद्योगों को जमीन पर उतारने के लिये इतनी जमीन देनी ही होगी। लेकिन सरकार का सीलिंग एक्ट और भूसुधार अधिनियम की धारा 118 दोनो में इसके लिये बंदिश है ऐसे में फिर यह सवाल उठता है कि जब औद्यौगिक विकास के लिये इन दोनों अधिनियमों में जमीन आवंटन परइस तरह की बंदिशे हैं तो फिर या तो सरकार इन अधिनियमों को खत्म करे या फिर औद्यौगिक विकास को छोड़ दे। सीमेन्ट उद्योग और हाईड्रो परियोजनाओं को हजारों बीघे जमीन पहले ही दी जा चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक मौजूदा कानून इसकी अुनमति नही देते हैं।

इसी परिप्रेक्ष में एक और सवाल उठ रहा है कि नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में कोई भी निर्मित भवन आदि लेने के लिये सरकार से धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता नही है यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में ऐसे भवन की खरीद कर लेता है जो तीन बीघे में स्थित है जिसमें आधे बीघे पर तो भवन बना हुआ है और शेष अढ़ाई बीघे खाली पड़ा है। उस खाली पड़े हिस्से पर मालिक कृषि या बागवानी करना शुरू कर देता है तो क्या नियम उसको ऐसा करने से रोक सकता है? क्योंकि नगर निगम /नगरपालिका अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति कृषि या बागवानी नहीं कर सकता है भले ही उसके पास ऐसा करने के लिये भूमि उपलब्ध हो। जब कोई व्यक्ति ऐसी उपलब्ध जमीन पर कृषि /बागवानी शुरू कर देता है तो स्वभाविक है कि उस क्षेत्र का पटवारी जब वहां गरदावरी करने आयेगा तो वह उस जमीन का वहीं ईन्दराज करेगा जो वह मौके पर देखेगा। क्योंकि पटवारी को नियमानुसार जमीन का वही ईन्दराज करना है जो वह मौके पर देखेगा यदि लगातार तीन बार वह जमीन पर कृषि /बागवानी देखता है तो उसका पक्का इन्दराज वैसा ही दर्ज कर देगा। पटवारी के इस इन्दराज को कानूनगो और तहसीलदार तक चैक करते हैं। ऐसे इन्दराज के बाद उस जमीन का मालिक स्वभाविक रूप से कृषक की परिभाषा में आ जायेगा और आगे कोई भी जमीन खरीदने का पात्र बन जायेगा। प्रदेश के हर शहर में इस तरह की स्थितियां मिल जायेंगी लेकिन कई जगह ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां कुछ अधिकारियों ने ऐसे हासिल हुए कृषक प्रमाण पत्रों को मानने से इन्कार कर दिया है। आज प्रदेश में लाखों गैर हिमाचली ऐसे मिल जायेंगे जो पीढ़ियों से प्रदेश में रह हरे हैं। जिनमें कई ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह से कृषि /बागवानी करने लायक जमीन होगी और उसमें वह ऐसा कर भी रहे होंगे।

आज प्रदेश में 93000 करोड़ का निवेश करने के लिये निवेशक तैयार हैं और इन निवेशकों ने प्रदेश के सीलिंग एक्ट और भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के परिदृश्य में भूसुधारों की मांग उठायी है। इसलिये आज सरकार के लिये यह एक बड़ी कसौटी होगी कि वह इन अधिनियमों पर उठने वाले सवालों से कैसे निपटती है।